अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(5) ग्राविवि/इं.आ./जिला/ग्रुप–5/2015–16 जयपुर, दि. 30 जुलाई, 2015

समस्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र)।

विषय :– इन्दिरा आवास योजना वर्ष 2015–16 हेतु PFMS प्रक्रिया रोल आउट साथ स्वीकृतियां जारी करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27(5) ग्राविवि/इं.आ./जिला/ग्रुप–5/2014–15 दिनांक 22 जनवरी, 2015 का संदर्भ लेवे जिसके द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु इन्दिरा आवास योजना के अनुमानित जिलेवार व वर्गवार लक्ष्य आवंटित कर पात्र लाभार्थियों के मोबाईल नं., CBS/प्रधानमंत्री जनधन/भामाशाह बैंक खाते के नम्बर/स्वच्छ भारत मिशन का आईडी नं. व महात्मा गांधी नरेगा जॉब कार्ड नं. के साथ आवाससॉफ्ट पर पंजीयन करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त की निरन्तरता में दिनांक 22 जनवरी, 2015 के पत्र में आंवटित जिलेवार व वर्गवार लक्ष्यों के बराबर स्वीकृति पंचायत समिति स्तर से जारी की जावें।

स्वीकृति जारी किये जाने के क्रम में निम्नानुसार दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें :–

1. इन्दिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची की समीक्षा कर वास्तविक पात्र प्रतीक्षारत परिवारों का भौतिक सत्यापन उपरान्त पात्र परिवारों की नियमानुसार तैयार की गई वरियता सूची के आधार पर ही स्वीकृति जारी की जावें।
2. विभागीय आदेश कमांक 6/2014 दिनांक 30 मार्च 2015 की समस्त स्वीकृतियां पंचायत समिति द्वारा जारी की जावेगी।
3. स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जावे की लाभार्थी के जॉब कार्ड नम्बर, स्वच्छ भारत मिशन आईडी नम्बर, लाभार्थी/लाभार्थी के नजदीकी व्यक्ति के मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से आवाससॉफ्ट में दर्ज किये जावें।
4. लाभार्थी के प्रधानमंत्री जनधन योजना/भामाशाह योजना/CBS बैंक खाता नम्बर ही आवाससॉफ्ट पर दर्ज कर भलीभाती जॉच कर खाता नम्बर फ्रिज किये जावें। किसी भी परिस्थिति में गैर CBS आधारित अन्य खाता नम्बर काम में नहीं लिये जावें।
5. स्वीकृति के साथ ही PFMS के माध्यम से लाभार्थी के खाते में राशि हस्तान्तरित की जावेगी।
6. विभागीय पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2015 द्वारा आवंटित वर्गवार आवंटित लक्ष्यों की सीमा से अधिक किसी भी वर्ग का कोई आवास स्वीकृत नहीं किया जावें। पंचायत समितिवार लक्ष्यों का नियमानुसार निर्धारण जिला परिषद स्तर से ही किया जावेगा।
7. स्वीकृति के साथ सभी प्रविष्टियां कर आवास अधिकार कार्ड व योजना से सम्बन्धित अन्य जानकारियों की प्रश्नावली/लिफ लेट/टाईप डिजाईन आदि आवास स्वीकृति की प्रति के साथ सम्बन्धित लाभार्थी को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से आवश्यक रूप से 7 दिवस में उपलब्ध करा दी जावें। इसके लिए विकास अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

D:\Bhasin (Po)\Kavita (MIS)\Kavita_Letter.docx

8. आवास योजना के अन्तर्गत जारी स्वीकृतियो की प्रति सम्बन्धित माननीय सांसद/मा. विधायक/पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावें।

9. महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को EFMS के माध्यम से राशि हस्तान्तरण के लिए अधिकृत प्रथम सिगनेटरी व द्वितीय सिगनेटरी, को ही इन्दिरा आवास योजना वर्ष 2015–16 के लाभार्थियों को PFMS प्रक्रिया से किश्तों के हस्तान्तरण हेतु अधिकृत किया गया है।

उक्त प्रक्रिया को लागू किये जाने के क्रम में PFMS बाबत निम्नानुसार कार्यवाही 3 दिवस में सुनिश्चित करावें :—

1. आवास योजना के अन्तर्गत आवाससॉफ्ट हेतु आवंटित ब्लॉक लॉगिन से प्रथम व द्वितीय सिगनेट्रिज का पंजीयन किया जावें।
2. PFMS कार्य हेतु यूजर नेम निम्नानुसार होंगे — उदाहरणार्थ ब्लॉक जिसका यूजर नेम RJ22001 है के प्रथम व द्वितीय सिगनेट्री के यूजर नेम PFMS हेतु निम्नानुसार होंगे :—
   (अ) RJ22001 ब्लॉक के प्रथम सिगनेट्री का यूजर नेम — RJ22001A
   (ब) RJ22001 ब्लॉक के द्वितीय सिगनेट्री का यूजर नेम — RJ22001B
3. इसी प्रकार ब्लॉक जिसका यूजर नेम — RJ12002 है के प्रथम व द्वितीय सिगनेट्री के यूजर नेम PFMS हेतु निम्नानुसार होंगे :—
   (अ) RJ12002 ब्लॉक के प्रथम सिगनेट्री का यूजर नेम — RJ12002A
   (ब) RJ12002 ब्लॉक के द्वितीय सिगनेट्री का यूजर नेम — RJ12002B
4. प्रथम व द्वितीय सिगनेट्री के मोबाईल फोन नम्बर जो कि EFMS/PFMS पर पंजीकृत किये जावें, की सूची विभाग को भिजवावें। इन्हीं मोबाईल नम्बरों पर OTP प्राप्त होगा। पासवर्ड के गलत प्रयोग व गलत प्रयोग से होने वाले आर्थिक व अन्य हानि हेतु प्रथम व द्वितीय सिगनेट्री जिम्मेदार होंगे। अतः अपना पासवर्ड गोपनीय रखे एवं किसी से साझा नहीं करें।
5. प्रथम व द्वितीय सिगनेट्री के रजिस्ट्रेशन उपरान्त ब्लॉक लॉगिन से, "Enroll DSC" का उपयोग करते हुये प्राप्त OTP को पासवर्ड मानकर प्रथम व द्वितीय सिगनेट्री द्वारा उनके पास मोजूद डोगल को जिसमें उनके डिजीटल हस्ताक्षर है Enroll हेतु प्रयोग में लिया जावें।
6. राज्य स्तर (प्रोग्रामर श्री सेवानी मो. 9462347663) से प्रथम व द्वितीय सिगनेट्री के DSC Activate होने के उपरान्त सामान्य प्रक्रिया से राशि लाभार्थी के खातें में हस्तान्तरित की जावें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

3/7/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रा.वि.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. श्री बी. सी. बेहरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
4. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. श्री कन्हैयालाल शेवानी, प्रोग्रामर कम राज्य एमआईएस नोडल अधिकारी, आवास, ग्राविवि, सचिवालय, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी (आवास), जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि.)

D:\Rkjain (Po)\Kavita (MIS)\Kavita_Letter.docx